

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इ  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

1-2-23

प्रा. पत्र अ. धा. 144 जा. दी के तहत वकील श्री देवेन्द्र सिंह के द्वारा पेश किया गया प्रा. पत्र बाद जॉय दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर वियधी गण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने हेतु सम्मन पेश करें। सम्मन पेश होने पर जारी किये जावे। पत्रावली वास्ते तलबी से दि. 3-3-23 को पेश हो।

3-3-23

पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कानून व्यवसाय किया गया है। आज पत्रावली पुनर्जुमान दिनांक 05.4.23 को पेश की जावे

6-4-23

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी उपस्थित प्रकरण से वकील प्राधी द्वारा प्रा. पत्र अ. धा. 144 जा. दी पर बहस करने का निवेदन किया है जिसे स्वीकार कर प्रा. पत्र अ. धा. 144 जा. दी पर वकील प्राधी को पुनर्तय्या बहस सुनी गई वकील प्राधी ने अपनी बहस इस प्रकार से करते हुए निवेदन किया है कि प्राधी गण/प्रतिवादी गण का प्रा. पत्र स्वीकार कर-यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़ गढ़ द्वारा अपील की सुनवाई कर इस-यायालय के निर्णय दि. 27-10-14 को निरस्त किया जाकर उस आदेश की याचना सुनिश्चित कर इन्तकाल नं. 342 निरस्त करवाया जाकर इन्तकाल नं. 285 की स्थिति कायम रखा जाने अर्थात् पूर्ववत स्थिति कायम कि जावे। प्रा. पत्र अ. धा. 144 जा. दी पर वकील प्राधी को पुनर्तय्या बहस सुनी गई व प्राधी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया प्रा. पत्र के

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन

साध प्रस्तुत न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील  
प्राधिकारी महो. चित्तौड़गढ़ के निर्णय कि प्रमाणित  
दृष्टया प्रति मे अपील अपीलान्ट प्रतिवादी गण की  
स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक  
27-10-14 को निरस्त की जाकर इस निर्देशों के  
साध प्रति प्रेषित किया गया है कि अपीलान्ट प्रतिवादी  
गण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नष  
निर्णय प्रारित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। पूकी की  
इस न्यायालय के निर्णय दि: 27-10-14 को निरस्त किया  
जा चुका है। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है।  
तहसील दार बंगू को पत्र जारी कर लिरवा जावे कि  
न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महो.  
चित्तौड़गढ़ के निर्णय दि 13.4.2022 कि विधाभा  
नुसार पालना कि जावे। पत्रावली फौसल शुमार  
हो कर नम्बर से कम है।